

ज.पा
22/10/2020



राजस्थान सरकार
वित्त (आबकारी) विभाग

क्रमांक प.4(9)वित्त/आब/2001 पार्ट

जयपुर, दिनांक : 27 अक्टूबर, 2020

संशोधित आदेश

सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर के पत्र क्रमांक 8983 दिनांक 27.10.2020 के क्रम में पुनर्विचार करते हुए जयपुर जिले की नगर निगम जयपुर हैरिटेज एवं जयपुर ग्रेटर, जोधपुर जिले की नगर निगम जोधपुर उत्तर एवं जोधपुर दक्षिण तथा कोटा जिले की नगर निगम कोटा उत्तर एवं कोटा दक्षिण के नगरीय निकाय चुनाव-2020 के परिपेक्ष्य में सूखा दिवस हेतु जारी विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 23.10.2020 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :-

जयपुर जिले की नगर निगम जयपुर हैरिटेज एवं जयपुर ग्रेटर, जोधपुर जिले की नगर निगम जोधपुर उत्तर एवं जोधपुर दक्षिण तथा कोटा जिले की नगर निगम कोटा उत्तर एवं कोटा दक्षिण के संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों के स्थान पर उक्त छः नगर निगमों के सम्पूर्ण निर्वाचन क्षेत्रों एवं उससे लगते हुये 5 किलोमीटर परिधीय क्षेत्रों में राज्यपाल महोदय द्वारा मतदान समाप्ति पर पूर्ण होने वाली 48 घंटों की अवधि अर्थात दिनांक 27.10.2020 को सायं 5.30 बजे से दिनांक 29.10.2020 को सायं 5.30 बजे तक एवं दिनांक 30.10.2020 को सायं 5.30 से दिनांक 01.11.2020 को सायं 5.30 बजे तक के लिए सूखा दिवस घोषित किया जाता है।

आज्ञा से,

(औकारमल राजोतिया)
संयुक्त शासन सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)

email- secraj@rajasthan.gov.in, Ph./FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांक: एफ. 4(1)(1)नपा/रानिआ/2020/9026

दिनांक: 27-10-2020

प्रतिलिपि: जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) (नगरपालिका) जयपुर, जोधपुर एवं कोटा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(अशोक कुमार जैन)
उप सचिव